भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †2654
दिनांक 19.12.2023 को उत्तरार्थ

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

†2654. श्री मनोज कोटक:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंचायती राज संस्थाओं में अनिवार्य आरक्षित सीटों से भी अधिक सीटों पर महिलाओं को सक्रिय रूप से भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) महिलाओं की चुनौतियों से सरकार किस प्रकार निपट रही है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) और (ख) 'पंचायत', 'स्थानीय शासन' होने कारण, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है। तदनुसार, पंचायतों का गठन और संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज्य अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के उपायों का कार्यान्वयन या महिलाओं की चुनौतियों से निपटना राज्य सरकारों के दायरे में आता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243घ, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करता है। हालाँकि, 21 राज्य और 2 संघ राज्य-क्षेत्र इससे भी आगे बढ़ गए हैं और अपने-अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों/नियमों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है।

पंचायती राज मंत्रालय ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की तैयारी के लिए ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है। यह मंत्रालय महिला सशक्तीकरण और महिला नेतृत्व के मुद्दों पर कार्यशालाओं, सम्मेलनों, समितियों और विशेषज्ञ समूहों की एक शृंखला के माध्यम से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ जुड़ रहा है। इन कार्यशालाओं के दौरान विचार-विमर्श से प्राप्त सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुभवों और विभिन्न समितियों और विशेषज्ञ समूहों

द्वारा की गई सिफारिशों के साथ-साथ विचार-विमर्श के आधार पर, यह मंत्रालय समय-समय पर राज्यों को परामर्शिकाएं जारी कर रहा है और पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को, ग्राम पंचायतों में प्रभावी ढंग से कार्य करने और नेतृत्व भूमिकाओं का उचित ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए, उनमें क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस मंत्रालय ने ग्राम सभा बैठकों से पहले अलग-अलग वार्ड सभा और महिला सभा की बैठकें आयोजित करने की सुविधा देने के लिए राज्यों को परामर्शिकाएं भी जारी किया है। इसके अलावा, ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाने, महिला केंद्रित गतिविधियों के लिए पंचायत निधि का आवंटन करने, महिलाओं की तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि बुराईयों को दूर करने के लिए भी राज्यों को परामर्शिकाएं जारी की गईं है।

****